16/06/2020

रिमाण्ड ड्यूटी में मेरे समक्ष प्रस्तुत

अभियुक्त दिलीप उर्फ छिपा की ओर से श्री चिन्तामन बाथम अधिवकता द्वारा इस न्यायालय की ई–मेल आई पर जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दंप्रसं. का प्रस्तुत किया गया।

आरक्षी केन्द्र देपालपुर से केस डायरी ईमेल से तलब की जावे।

प्रकरण केस डायरी मय प्रतिवेदन सहित प्राप्ति एवं जमानत आवेदन पर विचार हेतु रिमाण्ड न्यायालय में दिनांक 17/06/2020 को पेश हो।

(दिनेश सोलंकी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

17/6/2020

प्रकरण रिमाण्ड न्यायालय में मेरे समक्ष प्रस्तुत।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा से पेश नहीं । द्वारा श्री चिन्तामन बाथम अधिवकता उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी मय प्रतिवेदन सहित प्राप्ति एवं जमानत आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र देपालपुर से केस डायरी मय प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय की ई'–मेल आई डी पर प्राप्त।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन में निवेदन किया गया है कि आरोपी को अभियोगी द्वारा असत्य आधारो पर प्रकरण में आरोपी बनाया है जब कि आरोपी किसी प्रकार का कोई अपराध कारीत नहीं किया गया है, आरोपी म.प्र. का मूल निवासी होकर समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर कहीं भाग जाने या फरार हो जाने की कोई संभावना नहीं है। यदि आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा जमान पर मुक्त किया जाता है कि वह अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है तथा आरोपी ने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है कि उसे आजन्म कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा से दण्डित किया जावे।

Scanned with CamScanner

अभियुक्त माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है तथा माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः प्रार्थना है कि अभियुक्त का सदर आवेदन स्वीकार किया जाकर आरोपी को सक्षम जमानत पर मुक्त किया जाने बाबत योग्य आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अभियुक्त दिलीप उर्फ छीपा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन की प्रति आरक्षी केन्द्र देपालपुर के आरक्षक को प्रदान की गई।

उभय पक्षों के तर्क श्रवण किए गए।

आरक्षी केन्द्र देपालपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

आरक्षी केन्द्र देपालपुर की ओर से प्रस्तुत केस डायरी अनुसार आरक्षी केन्द्र देपालपुर के अपराध कमांक 135/2020 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त दिलीप उर्फ छीपा के विरूध्द अपराध पंजीबद्ध किया गया है अभियुक्त पर आरोपित अपराध अजमानतीय प्रकृति का है केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्त से कुल 06 पेटी देशी मसाला एवं एक पेटी देशी दुबारा शराब कीमती 24250/–रूपए की जप्त किया गया है । आरोपी से उक्त शराब दिनांक 30/05/2020 को लॉक डाउन के दौरान आरोपी से उक्त शराब जप्त की गई है तथा अभियुक्त द्वारा शासन द्वारा कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के रोकथाम के लिए बनाये आदेश का उल्लॅघन किया गया एवं अपने आधिपत्य पर अवैध रूप से अत्याधिक मात्रा में शराब रखी गई।

प्रकरण वर्तमान में विवेचना के प्रकरण पर होकर प्रकरण में विवेचना जारी है। अतः अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखतें हुवें अभियुक्त दिलीप उर्फ छिपा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दंप्रसं. का अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

केस डायरी वापस की जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 26/06/2020 को पेश हो।

17/06/2020

(दिनेश मीणा)
यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner